कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक /337 /अ.भू.अ./2014 रायगढ़, दिनांकः 26/02/2014

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– 765 के.व्ही. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन – II के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव के पंजीयन हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे/बडे झाड़ के जंगल) के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भ :– पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के पत्र क्रमांक प.छे.सं.प्र./रायगढ़/765के.व्ही./विद्युत्/वन/9992, दिनांक 16.08.13।

––––00––––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा तहसील धरमजयगढ, खरसिंया, घरघोड़ा, तमनार एवं लैलुंगा के निम्न् तालिका अनुसार ग्रामों के राजस्व वन भूमि (छोटे/बडे झाड़ के जंगल) पर 765 के.व्ही. D/C झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) तक विद्युत संचरण लाईन – II के निर्माण हेतु गैर वानिकी प्रयोजन के लिये राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र	अनुविभाग	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा (हे.में)	भूमि का मद
1.	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	औरानारा	8/1 क	17.066	0.536	बड़े झाड़ का जंगल
			लामीखार	46/2क	64.976	5.092	बड़े झाड़ का जंगल
				56/2क	60.463	2.412	बड़े झाड़ का जंगल
				214/2क	8.126	1.474	बड़े झाड़ का जंगल
2.	खरसिंया	खरसिंया	कुर्रु	23/1	20.860	3.082	छोटे झाड़ का जंगल
3.	घरघोड़ा	घरघोड़ा	छोटेगुमड़ा	158	11.582	0.536	बड़े झाड़ का जंगल
				307	3.740	0.536	छोटे झाड़ का जंगल
			कंचनपुर	659/2	4.047	1.206	बड़े झाड़ का जंगल
		तमनार	बनाई	750/1	5.504	1.393	छोटे झाड़ का जंगल
			चिर्रामुड़ा	69	0.636	0.134	छोटे झाड़ का जंगल
			सक्ता	16/1	1.396	0.804	छोटे झाड़ का जंगल
				10/1	3.581	1.065	छोटे झाड़ का जंगल
			हिन्झर	259/1क	6.953	1.876	बड़े झाड़ का जंगल
		लैलुंगा	हरदीझरिया	156	1.180	1.072	छोटे झाड़ का जंगल
कुल			11	14	210.110	21.218	

उपरोक्त आवेदित भूमि के संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से जांच कराई गई। तहसीलदार धरमजयगढ़ के जांच प्रतिवेदन दि. 24.12.2013, तहसीलदार लैलुंगा के जांच प्रतिवेदन दि. 23.01.2014, तहसीलदार घरघोड़ा के जांच प्रतिवेदन दि. 24.12.2013, तहसीलदार तमनार के जांच प्रतिवेदन दि. 17.12.2013, एवं तहसीलदार खरसिंया के जांच प्रतिवेदन दि. 10.01.2014 जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा तहसीलदारों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.) के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुशंसानुसार आवेदक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उपरोक्त आवेदित 10 ग्रामों के कुल ख. नं. 14 आवेदित रकबा 21.218 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे/बडे झाड़ के जंगल) को 765 के.व्ही. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन–II के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् नियमानुसार गैरवानिकी प्रयोजन/ब्यपवर्तन हेतु उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त अनापत्ति देने का तात्पर्य यह कदापि नही माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 337A/ अ.भू.अ./2014 रायगढ़, दिनांक 26/02/2014

प्रतिलिपि :–

अपर महाप्रबंधक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)